

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० उपेन्द्र पंडित, 49, सत्यनारायण पंडित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुलेखा देवी (पत्नी)	407 08.05.2026	ग्राम+पो०-भवानीपुर, वार्ड-04, थाना+प्र०-सिंहेश्वर जिला-मधेपुरा 6204076348	317841 79960	SBI SBIN00 03007	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० अमरेश कुमार, 27, शिवनारायण मेहता, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	उर्मिलेश देवी (माता)	408 08.05.2026	ग्राम+पो०-सुखासन, वार्ड-05, थाना+प्र०-सिंहेश्वर जिला-मधेपुरा 8935448490	391202 64221	SBI SBIN00 08574	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	स्व० सदानंद महतो, 37, ब्रह्मदेव महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	ललिता देवी (पत्नी)	410 08.05.2026	ग्राम-तिरासी, वार्ड-03, पो०-सपरदह, थाना+प्र०-पुरेनी, जिला-मधेपुरा 7070748655	008610 514163	IPPB IPOS00 00001	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल :-1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-32/2026-85।

पटना, दिनांक :- ०९.०५.२०२६/०९.०५.२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण



समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

06/07/2024
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardwaj

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक